

यमन का गाजा की रक्षा करने का अधिकार और यमन का समर्थन करने का दायित्व

इज़रायल द्वारा गाजा में चल रहा नरसंहार अंतरराष्ट्रीय कानून और मानव गरिमा का गंभीर उल्लंघन है, जो फिलिस्तीनी लोगों के व्यवस्थित विनाश को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करता है। यमन ने, 1948 के नरसंहार की रोकथाम और सजा के लिए संधि और रक्षा की जिम्मेदारी (R2P) ढांचे के तहत अपने अधिकारों और दायित्वों का हवाला देते हुए, सैन्य कार्रवाई सहित उपायों के माध्यम से गाजा के लोगों की रक्षा करने का अपना अधिकार जताया है। यह निबंध तर्क देता है कि यमन का हस्तक्षेप कानूनी रूप से उचित और नैतिक रूप से अनिवार्य है, और सभी देश अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत यमन के और अधिक अत्याचारों को रोकने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए बाध्य हैं। कार्रवाई न करना न केवल स्थापित कानूनी मानदंडों का उल्लंघन करता है, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में इज़रायल की विस्तारवादी आक्रामकता को सक्षम करने का जोखिम उठाता है, जो वैश्विक स्थिरता को खतरे में डालता है।

यमन का गाजा की रक्षा करने का कानूनी अधिकार

नरसंहार संधि (1948) देशों पर नरसंहार को रोकने और दंडित करने का स्पष्ट कर्तव्य थोपती है, जिसे राष्ट्रीय, नस्लीय, जातीय, या धार्मिक समूह को पूर्ण या आंशिक रूप से नष्ट करने के इरादे से किए गए कृत्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। गाजा में इज़रायल की कार्रवाइयाँ—अंधाधुंध हवाई हमले, जानबूझकर भुखमरी, और नागरिक बुनियादी ढांचे का विनाश—इस परिभाषा को पूरा करती हैं, जैसा कि जनवरी 2024 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) द्वारा **दक्षिण अफ्रीका बनाम इज़रायल** मामले में दी गई अस्थायी उपायों से साबित होता है, जिसमें नरसंहार कृत्यों के विश्वसनीय सबूत पाए गए।

नरसंहार संधि का अनुच्छेद I, यमन सहित देशों को, क्षेत्रीय सीमाओं की परवाह किए बिना, ऐसी अपराधों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का आदेश देता है। लाल सागर में यमन की नौसैनिक कार्रवाइयाँ, जो इज़रायल की आपूर्ति लाइनों को बाधित करने का लक्ष्य रखती हैं, इस कर्तव्य का वैध प्रयोग है, क्योंकि वे गाजा की जनसंख्या को विनाश से बचाने का प्रयास करती हैं।

इसके अलावा, 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई **रक्षा की जिम्मेदारी** (R2P) सिद्धांत देशों को नरसंहार, युद्ध अपराध, नस्लीय सफाई, और मानवता के खिलाफ अपराधों से आबदी की रक्षा करने के लिए बाध्य करता है, जब कोई देश ऐसा करने में विफल रहता है। गाजा में फिलिस्तीनियों की रक्षा करने में इज़रायल की स्पष्ट विफलता, इसके सक्रिय अत्याचारों के साथ, R2P के सामूहिक कार्रवाई के प्रावधानों को सक्रिय करती है। यमन का हस्तक्षेप R2P के सिद्धांतों के अनुरूप है, क्योंकि यह अभूतपूर्व गंभीरता की मानवीय संकट का जवाब देता है। 1999 में नाटो का कोसोवो में हस्तक्षेप, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी के बिना नस्लीय सफाई को रोकने के लिए किया गया था, यमन की कार्रवाइयों का समर्थन करता है। प्रथगत अंतरराष्ट्रीय कानून मानवीय हस्तक्षेप को तब स्वीकार करता है जब किसी देश का आचरण मानवता की अंतरात्मा को झकझोर देता है, एक ऐसा स्तर जो इज़रायल की गाजा में कार्रवाइयाँ निस्संदेह पूरा करती हैं।

देशों का यमन का समर्थन करने का दायित्व

नरसंहार संधि और R2P के तहत, सभी देश नरसंहार को रोकने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं, न केवल बयानबाजी के माध्यम से बल्कि ठोस कार्रवाई के माध्यम से। यह दायित्व यमन के गाजा की रक्षा करने के प्रयासों का समर्थन करने तक विस्तारित है। **नरसंहार संधि** का अनुच्छेद VIII देशों को संयुक्त राष्ट्र के सक्षम अंगों से कार्रवाई करने का आह्वान करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन जब ये निकाय राजनीतिक वीटो द्वारा पंगु हो जाते हैं—जैसा कि गाजा के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बार-बार विफलता में देखा गया है—देशों को स्वतंत्र रूप से या सामूहिक रूप से कार्य करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अनुच्छेद 51, जो सामूहिक आत्मरक्षा की अनुमति देता है, देशों को इज़रायल की आक्रामकता से गाजा की आबादी की रक्षा करने में यमन के साथ शामिल होने के लिए अतिरिक्त कानूनी आधार प्रदान करता है।

ऐतिहासिक मिसालें निष्क्रियता के परिणामों को रेखांकित करती हैं। 1994 के रवांडा नरसंहार के दौरान अंतरराष्ट्रीय समुदाय की हस्तक्षेप करने में विफलता, स्पष्ट बड़े पैमाने पर अत्याचारों के सबूत के बावजूद, लगभग 800,000 लोगों की मृत्यु का कारण बनी। इसी तरह, 1930 के दशक में नाज़ी जर्मनी के प्रति तुष्टिकरण नीति, जिसका उदाहरण 1938 का म्यूनिख समझौता है, ने आक्रामकता को प्रोत्साहित किया और होलोकॉस्ट की ओर ले गया। ये विफलताएँ नरसंहार के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने की नैतिक और कानूनी अनिवार्यता को उजागर करती हैं। जो देश यमन का समर्थन करने में विफल रहते हैं, वे इज़रायल के अपराधों में सहभागी होने का जोखिम उठाते हैं, जिससे होलोकॉस्ट के बाद का “फिर कभी नहीं” का वचन टूटता है।

इज़रायल का व्यापक खतरा और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता

इज़रायल की कार्रवाइयाँ गाजा से परे विस्तारित होती हैं, जो पूरे मध्य पूर्व को धमकी देने वाली विस्तारवादी एजेंडा को प्रकट करती हैं। 1949 की **चौथी जेनेवा संधि** के उल्लंघन में वेस्ट बैंक का अवैध कब्ज़ा, और लेबनान, सीरिया, और यमन में इसकी सैन्य घुसपैठ आक्रामकता का एक पैटर्न दर्शाती है। 1982 के साब्रा और शतीला नरसंहार और 2006 की लेबनान युद्ध इज़रायल की पड़ोसी देशों को अस्थिर करने की इच्छा को दर्शाते हैं। हाल के सीरिया पर हवाई हमले और ईरान और इराक के खिलाफ धमकियाँ इसकी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को और पुष्ट करती हैं। इज़रायल की आक्रामकता के खिलाफ यमन का प्रतिरोध न केवल गाजा की रक्षा है, बल्कि एक क्षेत्रीय खतरे के खिलाफ एक रुख है, जो अगर अनियंत्रित रहा, तो वैश्विक परिणामों के साथ एक व्यापक संघर्ष में बढ़ सकता है।

देशों को कूटनीतिक, आर्थिक, और यदि आवश्यक हो, सैन्य साधनों के माध्यम से यमन का समर्थन करना चाहिए। इज़रायल के खिलाफ प्रतिबंध, हथियारों पर प्रतिबंध, और युद्ध अपराधों के लिए सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार के तहत इज़रायली अधिकारियों का अभियोजन महत्वपूर्ण कदम है। सार्वभौमिक क्षेत्राधिकार का सिद्धांत, जैसा कि 1998 में ऑगस्टो पिनोशे के लिए गिरफ्तारी वारंट के मामले में मान्यता प्राप्त है, देशों को अंतरराष्ट्रीय अपराधों के अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की अनुमति देता है, जिससे यमन के प्रयासों को बल मिलता है। इसके अतिरिक्त, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रंगभेद विरोधी अभियान से प्रेरित बॉयकॉट, विनिवेश, और प्रतिबंध (BDS) आंदोलन जैसे आर्थिक उपाय यमन की कार्रवाइयों को पूरक बना सकते हैं, लेकिन संकट की तात्कालिकता को देखते हुए तत्काल परिणाम प्राप्त करने के लिए सैन्य समर्थन की आवश्यकता हो सकती है।

वैश्विक एकजुटता के लिए नैतिक और कानूनी अनिवार्यता

यमन का हस्तक्षेप, अपने स्वयं के मानवीय चुनौतियों के बावजूद, मानवता के प्रति एक प्रतिबद्धता का उदाहरण देता है जो धनी और अधिक शक्तिशाली देशों को शर्मसार करता है। इस संकट का नैतिक वजन मांग करता है कि देश अपनी राजनीतिक गठबंधनों के ऊपर अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दें। पश्चिमी शक्तियाँ, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से सैन्य और वित्तीय समर्थन के माध्यम से इज़रायल को सक्षम बनाया है, विशेष रूप से दिशा बदलने और यमन के प्रयासों के साथ तालमेल बिठाने की जिम्मेदारी वहन करती हैं। ऐसा न करने से न्याय और मानवता के उन सिद्धांतों को कमज़ोर किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय कानूनी व्यवस्था को आधार बनाते हैं।

इसके अलावा, नागरिक समाज की भूमिका सरकारों पर कार्रवाई के लिए दबाव डालने में है। वैश्विक विरोध, वकालत, और यमन के मानवीय प्रयासों का समर्थन इसकी कार्रवाइयों को बढ़ा सकता है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को यह मानना होगा कि यमन का समर्थन करना केवल एक नीतिगत विकल्प नहीं है, बल्कि मानव जीवन की पवित्रता को बनाए रखने और इतिहास के सबसे अंधेरे अध्यायों की पुनरावृत्ति को रोकने की कानूनी और नैतिक आवश्यकता है।

निष्कर्ष

यमन का गाजा के लोगों की रक्षा करने का अधिकार **नरसंहार संधि**, R2P, और प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून में मजबूती से निहित है। इज़रायल की नरसंहार अभियान को बाधित करने की इसकी कार्रवाइयाँ एक चल रही अत्याचार के लिए वैध और आवश्यक प्रतिक्रिया हैं। सभी देश कूटनीतिक, आर्थिक, और सैन्य उपायों सहित सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से यमन का समर्थन करने के लिए बाध्य हैं, ताकि नरसंहार को रोका जा सके और इज़रायल की विस्तारवादी धमकी का मुकाबला किया जा सके। इतिहास सिखाता है कि नरसंहार के सामने निष्क्रियता आपदा को जन्म देती है; अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस सबक

पर ध्यान देना चाहिए और अपने कानूनी और नैतिक कर्तव्य को पूरा करने के लिए यमन के पीछे एकजुट होना चाहिए। संकोच का समय बीत चुका है—यमन के साथ वैश्विक एकजुटता गाजा के लिए न्याय और विश्व के लिए स्थिरता का एकमात्र मार्ग है।